न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मिसल न0 58 /प्रा0पत्र/23

तारीख दायरा 04.04.2023

राज0 सरकार जर्ये पुलिस थाना अकलेरा जिला झालावाड़

बनाम्

जगदीश वगै0

प्रथम सूचना रिपोर्ट स0 615/2022 थाना अकलेरा जिला झालावाड
जुर्म अन्तर्गत 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम
प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6क वास्ते सुपुर्दगी वाहन पिकअप रजि0 नं0 एमपी 42 जी 2579

उपस्थितः— श्री अमरसिंह लववंशी, अभिभाषक अप्रार्थी
सहायक निदेशक अभियोजन

—ः निर्णय ः—

दिनांकः 09.01.2024

यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी नरसिंह तंवर पुत्र प्रभूलाल तंवर जाति तवंर निवासी ग्राम हिनोती तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना अकलेरा जिला झालावाड़ द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8 के जुर्म में प्रार्थी का एक वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 42 जी 2579 जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त पिकअप को अपने दैनिक व्यवसायिक कार्यो मे आवश्यकता पडती है। ऐसा कोई अपराध गंभीर प्रकृति का नही है जिसमें प्रार्थी के वाहन पिकअप की किसी प्रकार की आवश्यकता हो। संबधित थानाधिकारी द्वारा उक्त जप्तशुदा पिकअप के संबध मे किसी प्रकार की तफतीश अथवा जांच करना शेष नही है। पिकअप के थाने मे खुले मे पडे रहने से उसके रंग व कलपुर्जे खराब होने की पूरी संभावना है। जिससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान उठाना पडेगा। पिकअप को प्रार्थी (अप्रार्थी) के सुपुर्दगी मे दिये जाने के बाद प्रार्थी (अप्रार्थी) सुरक्षित रखेगा तथा कही पर विक्रय या खुर्दबुर्द नही करेगा तथा किसी प्रकार के रंग रोगन मे बदलाव नही करेगा। माननीय न्यायालय जब भी वाहन को तलब करेगा तो पिकअप लेकर न्यायालय हाजा मे उपस्थित हो जावेगा। वाहन की सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी 6 के अंतर्गत रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 42 जी 2579 को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है। जप्त वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 42 जी 2579 में 07 गोवंश ठूस ठूस कर भरा होना अंकन किया गया है। वाहन में गोवंश को लाने ले जाने का कोई वैधानिक दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा वक्त गिरफतारी नहीं बताया गया। इससे प्रथम दृष्टया गोवंशों की तस्करी किया जाना प्रमाणित होता है।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन ने प्रार्थी थानाधिकारी अकलेरा द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि पुलिस थाना अकलेरा ने अप्रार्थी के यह कृत्य राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8 का स्पष्ट

जिला कलक्टर
झालावाड़

उल्लंघन किया गया है तथा संम्बधित थानाधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 42 जी 2579 को बतोर साधन जप्त किया है। जप्त वाहन को राजसात किया जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में बताया कि अप्रार्थी नरसिंह तंवर पुत्र प्रभूलाल तंवर जाति तवंर निवासी ग्राम हिनोती तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है वाहन संगीन अपराध में लिप्त नहीं है तथा पुलिस को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है अगर वाहन जप्त रहता है देखभाल के अभाव में खराब हो जावेगा तथा वाहन जप्त रहने से अप्रार्थी को नित्य व्यावसायिक कार्य को करने में असुविधा होगी। अप्रार्थी को उक्त वाहन पिकअप सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया गया पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी वाहन मालिक की ओर से दौराने बहस कहा गया कि जप्त वाहन खुले में थाना परिसर में खड़ा हुआ है जिससे वाहन खराब हो जायेगा। पुलिस थाना अकलेरा को वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है, प्रार्थी को अपने कार्य हेतु की आवश्यकता को देखते हुए जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जावे परन्तु योग्य अभिभाशक वाहन मालिक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे जप्त वाहन गोवंश के अवैद्य परिवहन में लिप्त नहीं होना माना जा सके।

प्रार्थना पत्र आर.बी.ए. एक्ट की धारा 6(क) पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 42 जी 2579 गोवंशीय पशुओं के अवेद्य परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है उक्त अधिनियम की धारा 6(क) के तहत जप्त वाहन को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित पाते है।

अधिनियम की धारा 6(क) में दिये गए प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए उक्त कृत्य के लिए वाहन वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 42 जी 2579 पर जुर्माना (fine) बीमा पॉलीसी दस्तावेज में अंकित राशि 700000/– अक्षरे रूपये सात लाख लगाया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि–

प्रार्थना पत्र राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6(क) स्वीकार किया जाता है। जप्त वाहन के मालिक को विकल्प दिया जाता है कि वे अन्दर 30 योम वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 42 जी 2579 पर जुर्माना (fine) बीमा पॉलीसी दस्तावेज में अंकित राशि 700000/– अक्षरे रूपये सात लाख राजकोष में जमा करा दे तथा वाहन का मालिक होने के असल दस्तावेज पेश करे व उक्त वाहन अन्य किसी न्यायिक प्रकरण में वांछित ना हो तो वाहन को सम्बंधित मालिक की सुपुर्दगी में दिया जावे। बाद गुजरने म्याद जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (Confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा जिला झालावाड को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 9.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़) 9/01
जिला कलक्टर
झालावाड़